FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

क्रेडिट कार्ड्स- सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

पूरी तरह से समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों (एमआईटीसी) को फेडरल बैंक लिमिटेड के कार्ड मेंबर एग्रीमेंट के साथ पढ़ा जाना चाहिए। एमआईटीसी परिवर्तन के अधीन है। विवरण के लिए www.federalbank.co.in देखें।

प्रभारों की अनुसूची	
क्रेडिट कार्ड के प्रकार	1) सिग्नेट 2) इम्पीरियो 3) सेलेस्टा
ब्याज रहित अवधि	48 दिनों तक
न्यूनतम पुनर्भुगतान राशि	5% या न्यूनतम रु. 100/-
नकद एडवांस सीमा	सिग्नेट- 10% इम्पीरियो—20% सेलेस्टा—25%
ज्वाइनिंग फीस	सिग्नेट- रु. 750/- इम्पीरियो- रु. 1500/- सेलेस्टा - रु. 3000/- 3 अप्रैल 2023 से शामिल हुए ग्राहकों के लिए लागू नहीं

वार्षिक सदस्यता फीस (अगले वर्ष से लागू)	सिग्नेट- रु. 750/- इम्पीरियो- रु. 1500/- सेलेस्टा - रु. 3000/- 3 अप्रैल 2023 से शामिल ग्राहकों के लिए लागू नहीं
ज्वाइनिंग फीस माफी के लिए खर्च की शर्त	**सिग्नेट** **पहले 3 महीनों के भीतर 10,000/- से अधिक खर्च करें और पहले वर्ष के लिए रू.750 के ज्वाइनिंग शुल्क की माफी पाएँ।** **इम्पीरियो** **पहले 3 महीनों के भीतर 20,000/- से अधिक खर्च करें और पहले वर्ष के लिए रू.1500 के ज्वाइनिंग शुल्क की माफी पाएँ।** **सेलेस्टा** **पहले 3 महीनों के भीतर 30,000/- से अधिक खर्च करें और पहले वर्ष के लिए रू.3000 के ज्वाइनिंग शुल्क की माफी पाएँ।** **उपरोक्त शर्त 03 अप्रैल 2023 से शामिल होने वाले ग्राहकों के लिए लागू नहीं है क्योंकि उनसे कोई ज्वाइनिंग शुल्क नहीं लिया गया** है।
वार्षिक सदस्यता शुल्क में छूट हेतु खर्च की शर्त। (नकद निकासी लेनदेन को बाहर रखा गया है)	**सिग्नेट कार्ड** **चालू वर्ष में रु.75,000/- खर्च करें और अगले वर्ष की वार्षिक सदस्यता शुल्क पर छूट प्राप्त करें।** **इम्पीरियो कार्ड** **चालू वर्ष में रु.1,50,000/- खर्च करें और अगले वर्ष की वार्षिक सदस्यता शुल्क पर छूट प्राप्त करें।** **सेलेस्टा कार्ड** **चालू वर्ष में रु.3,00,000/- खर्च करें और अगले वर्ष की वार्षिक सदस्यता शुल्क पर छूट प्राप्त करें।** **उपरोक्त शर्त 03 अप्रैल 2023 से शामिल ग्राहकों के लिए लागू नहीं है, क्योंकि कोई एएमसी नहीं लिया गया है।**

अतिरिक्त कार्ड फीस	अधिकतम 4 कार्ड (रु. 100/- प्रति कार्ड)
ब्याज पर रिवॉल्विंग क्रेडिट (अप्रैल- वार्षिक प्रतिशत दर)	

पिछली तिमाही का औसत मासिक बैलेंस	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर%)
रु.50,000 से कम	45.00% (3.75% प्रति माह)
रु. 50,000 - 3,00,000	32.28% (2.69% प्रति माह)
रु. 3,00,001- 10,00,000	20.00% (1.69% प्रति माह)
रुपये से अधिक. 10,00,000	8.28% (0.69% प्रति माह)

एएमबी- फेडरल बैंक में रखे गए ऑपरेटिव खाते में औसत मासिक शेष यानी किसी दिए गए महीने में सभी समापन दिवस बैलेंस का औसत। एएमबी की गणना करने के लिए, आपको प्रत्येक दिन के अंतिम बैलेंस को जोड़ना होगा और इसे उस महीने के दिनों की संख्या से भाग देना होगा। किसी तिमाही के लिए एएमबी उस तिमाही के 3 महीनों में बनाए गए एएमबी का औसत होगा। एपीआर प्रत्येक कैलेंडर तिमाही की शुरुआत की 10 तारीख को अपडेट किया जाएगा।

तिमाहियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: जनवरी, फरवरी और मार्च तिमाही 1 के रूप में; तिमाही 2 के रूप में अप्रैल, मई और जून; जुलाई, अगस्त और सितंबर को तिमाही 3 और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को तिमाही 4 माना जाएगा। तिमाही 2 के लिए एपीआर पर तिमाही 1 के औसत मासिक शेष के आधार पर विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए। 1 अप्रैल-30 जून तिमाही का एपीआर (वार्षिक प्रतिशत दर) 10 जुलाई को अपडेट किया जाएगा।

उदाहरण:

1 जनवरी को ऑपरेटिव अकाउंट में बैलेंस 50,000 रुपये है.

12 जनवरी को 4,000 रुपये की निकासी होती है. ईओडी बैलेंस 46,000 रुपये है.

18 जनवरी को 20,000 रुपये जमा होते हैं. ईओडी बैलेंस 66,000 रुपये है.

ईओडी शेष राशि का योग: 11 दिनों के लिए - 1 जनवरी से 12 जनवरी तक - ईओडी शेष राशि का योग रु (50000*11) = रु 5,50,000 होगा

12 जनवरी से 18 जनवरी तक, ईओडी शेष राशि रुपये (46,000*6) = 2,76,000 रुपये होगी

18 जनवरी से 31 जनवरी तक ईओडी बैलेंस का योग रुपये (66,000*13) = 8,58,000 रुपये होगा।

	सभी ईओडी समापन शेष का योग = 16,84,000 रुपये जनवरी में दिनों की कुल संख्या = 31 तो, औसत मासिक शेष 1684000/31 यानी 54,322.58 रुपये होगा इसी तरह फरवरी और मार्च के लिए औसत मासिक बैलेंस रु. 70,000 और रु. क्रमशः 95,000/- है तो तिमाही के लिए एएमबी होगा (54,322.58 + 70,000 + 95,000)/3 यानी 2,19,322.58/3 = रु. 73,107.52 जो रुपये 50,000- 3,00,000 के बीच है। इसलिए, ग्राहक को अगली तिमाही के लिए 30.00% यानी 2.49% प्रति माह की पेशकश की जाएगी। जो ग्राहक फेडरल बैंक में सक्रिय खाता नहीं रखते हैं, उनसे प्रति माह 41.88% यानी 3.49% एपीआर शुल्क लिया जाएगा।
नकद अग्रिम शुल्क	निकाली गई राशि का 2.5% या रु.500 जो भी उच्चतर हो
विलंबित भुगतान शुल्क	

नियत तारीख के बाद बकाया शेष	विलंब भुगतान शुल्क (रु)
रु. 0- रु. 250	0
रु. 251- रु. 1000	250
रु. 1001 से रु. 5,000	500
रु. 5,001 से रु. 25,000	1000
रु. 25,001 रुपये से अधिक	1250

सीमा से अधिक पर शुल्क खाता	ओवर-लिमिट राशि का 2.5%, न्यूनतम रु. 500/- के अधीन।
चेक रिटर्न या अनादर या ऑटो-डेबिट रिवर्सल	भुगतान राशि का 2% न्यूनतम रु. 450/- के अधीन
नकद भुगतान के लिए शुल्क	रु. 100/-
रिवॉर्ड्स	रु. 99/- प्रति रिडेम्पशन निवेदन

रिडेम्पशन शुल्क	
किराये का भुगतान	1 अप्रैल 2023 से, किराये के लेनदेन पर लागू करों के साथ कुल लेनदेन राशि का 1% शुल्क लगाया जाएगा।
लोन की प्रक्रिया पूर्व-समापन शुल्क	क्रेडिट कार्ड ईएमआई सुविधा का तरीका: मर्चेंट आउटलेट (पीओएस मशीन) के माध्यम से लेनदेन के समय, ऑनलाइन लेनदेन और फेडमोबाइल/फेडनेट और संपर्क केंद्र के माध्यम से पोस्ट लेनदेन: 1% या रु. लेनदेन राशि पर 99 रुपये, जो भी अधिक हो, प्लस लागू दरों पर जीएसटी लगेगा। यदि ईएमआई-अवधि पूरी होने से पहले क्रेडिट कार्ड ईएमआई बंद कर दी जाती है, तो 3% का फौजदारी शुल्क + शेष मूल राशि का जीएसटी और लागू दरों पर जीएसटी लिया जाएगा।
ईंधन लेन-देन अधिभार	इम्पीरियो और सेलेस्टा श्रेणी के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर प्रति बिलिंग चक्र रु. 400/- से रु. 5000/- तक के खर्च पर 1% सरचार्ज की माफी रु. 150/- तक। ईंधन अधिभार छूट पात्र निपटारा राशि के 1% पर सीमित होगी। अधिभार की दर फ्यूल स्टेशन और उनके अधिग्रहणकर्ता बैंक के आधार पर भिन्न हो सकती है। अधिभार व्यापारी को टर्मिनल प्रदान करने वाले अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा लगाया जाता है। चार्जस्लिप का मूल्य क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट से भिन्न होगा क्योंकि लेनदेन के बाद बैंक द्वारा अधिभार और जीएसटी लगाया जाता है। पात्र लेनदेन के लिए 1% अधिभार छूट (जीएसटी सहित) मासिक क्रेडिट कार्ड विवरण में अलग से दिखाई देगी।
खोए, चोरी हुए या क्षतिग्रस्त कार्ड को पुन:जारी करना	**रु.** 200/-
आउटस्टेशन चेक प्रक्रिया शुल्क	5,000 रुपये तक के चेक का मूल्य - शुल्क 25/- रुपये होगा 5,000 रुपये से अधिक मूल्य का चेक - शुल्क 50/- रुपये होगा
विदेशी मुद्रा लेन-देन	बैंक शुल्क क्रॉस करेंसी मार्क-अप शुल्क इस प्रकार होगा

प्रकार	**फॉरेक्स मार्क अप (%)**
सिग्नेट कार्ड	3.5
इम्पीरियो कार्ड	3.5
सेलेस्टा कार्ड	2

डायनामिक करेंसी रूपांतरण*

किस्म	डीसीसी मार्क अप (%)
सिग्नेट कार्ड	3.5
इंपीरियो कार्ड	3.5
सेलेस्टा कार्ड	2

नियम व शर्तें

(1) डीसीसी केवल तभी लागू होगा जब इंटरनेशनल लेनदेन किया जाता है और मर्चंट आउटलेट, एटीएम या शाखा का स्थान भारत से बाहर होता है,फिर चाहे लेनदेन के कार्डधारक का स्थान चाहे कहीं भी हो.

(2) मर्चंट/ एटीएम/ शाखा द्वारा लेनदेन की प्रक्रिया करने से पूर्व कार्डधारक के पास डीसीसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा और कार्डधारक डीसीसी वि पर सक्रियता से चुनाव कर सकेगा.

(3) कार्डधारक प्रकटीकरण की जानकारी को स्वीकार करने की पुष्टि करने के बाद डीसीसी के लिए सहमति प्रदान करेगा जिसमें शामिल हैं (i) करेंसी कोड के साथ मर्च स्थानीय मुद्रा में प्रदर्शित वस्तुओं या सेवाओं की राशि (कर सहित) (ii) एक्सचेंज रेट/मार्क अप (iii) डीसीसी करेंसी में कुल लेनदेन की राशि (iv) कार्डधारक के समक्ष प्रकट की गई प्रदत्त डीसीसी लेनदेन राशि का करेंसी सिंबॉल कोड.

(4) डीसीसी लेनदेन की पूर्णता पर, कार्डधारक को मर्चंट/ एटीएम/ शाखा, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा लेनदेन रसीद जारी की जाएगी जिसमें लेनदेन की मुद्रा, लेनदेन की राशि, लेनदेन शुल्क इत्यादि का विवरण होगा, लेकिन जो यहीं तक सीमित नहीं है.

1 करोड़ रुपये से ऊपर निकासी पर टीडीएस	01-जुलाई-2020 से प्रभावी तौर पर, खातों और कार्ड्स से रु.1 करोड से अधिक राशि की नकद निकासी पर 2% की दर से टीडीएस लागू है। जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में किसी वर्ष में अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है, उनके लिए रु.20 लाख से अधिक राशि की कुल निकासी पर, 2% की दर पर टीडीएस लिया जाएगा और कुल निकासी रु.1 करोड़ से अधिक होने पर यह दर 5% होगी.
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सभी शुल्कों, ब्याज और अन्य शुल्कों पर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर लागू होगा। लागू जीएसटी आपूर्तिकर्ता के स्थान (क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता यानी फेडरल बैंक) और आपूर्ति के स्थान पर निर्भर होगा। यदि आपूर्ति का स्थान (ग्राहक पत्राचार का पता) केरल में है, तो यह सीजीएसटी और एसजीएसटी (इंट्रा स्टेट) होगा, अन्यथा आईजीएसटी (इंट्रा स्टेट) होगा। सिस्टम में ग्राहक के पंजीकृत डाक पते की अनुपलब्धता के मामले में, इंट्रा स्टेट जीएसटी दरें लगाई जाएंगी।

Formatted: Font: (Default) Nirmala UI, 10 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Nirmala UI, 10 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Nirmala UI, 10 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Nirmala UI, 10 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Nirmala UI, 10 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Nirmala UI, 10 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Nirmala UI, 10 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: (Default) Nirmala UI, 10 pt, Font color: Auto, Not Hidden

Formatted: Font: (Default) Nirmala UI, 10 pt, Font color: Auto

	कार्ड धारक क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को उचित जीएसटी अनुपालन करने में सक्षम बनाने के लिए सही और समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो बदले में कार्ड धारक को क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति (क्रेडिट कार्ड सेवा) का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में सक्षम करेगा। क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कार्ड धारक द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी के कारण या कार्ड धारक द्वारा किसी कृत्य या चूक के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट की हानि या कार्ड धारक को इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। शुल्क और प्रभार/ब्याज या किसी अन्य रियायत/छूट पर कोई विवाद होने पर संग्रहित जीएसटी को वापस नहीं किया जाएगा।
वॉलेट लोडिंग शुल्क	1 मई 2024 से, वॉलेट लोड लेनदेन पर लागू करों के साथ लेनदेन राशि का 1% शुल्क लगाया जाएगा।

आरबीआई के आदेश के अनुरूप, आपके क्रेडिट कार्ड पर किए गए लेनदेन की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे एफसीआरए खातों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से कोई भुगतान न करें। यदि इन खातों के माध्यम से कोई भुगतान पाया जाता है, तो ग्राहक को गृह मंत्रालय से ऐसे भुगतानों के लिए स्पष्टीकरण मांगने वाला नोटिस प्राप्त हो सकता है।

1. **फीस और प्रभार**

A. <u>कार्ड सदस्य द्वारा क्रेडिट कार्ड पर देय शुल्क:</u> प्रत्येक कार्ड सदस्य के लिए कार्ड के प्रकार, ऑफ़र (यदि कोई हो) आदि के आधार पर शुल्क अलग-अलग हो सकता है। क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय इसकी सूचना कार्ड सदस्य को दी जाती है। . उपरोक्त शुल्क, जैसा लागू हो, कार्ड खाते में बिल किया जाता है और उस महीने के कार्ड विवरण में बताया जाता है जिसमें यह लिया गया है।

B. नकद अग्रिम शुल्क: कार्ड सदस्य भारत या विदेश में एटीएम से आपातकालीन स्थिति में नकदी प्राप्त करने के लिए कार्ड का उपयोग कर सकता है। निकाली गई राशि पर 2.5% का लेनदेन शुल्क लगाया जाएगा, जो न्यूनतम शुल्क रु. 500/- के अधीन होगा और अगले विवरण में कार्ड सदस्य को बिल किया जाएगा। लेनदेन शुल्क फेडरल बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन है। सभी नकद अग्रिमों पर निकासी की तारीख से फेडरल बैंक के विवेक पर परिवर्तन के अधीन होने तक रिवॉल्विंग क्रेडिट पर शुल्क के बराबर वित्त शुल्क भी लगता है (कृपया शुल्कों की अनुसूची देखें)। बैंक की नीति के अनुसार, फेडरल क्रेडिट कार्ड के लिए नकद निकासी की सुविधा वर्तमान में केवल चुनिंदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

C. शुल्क : i. प्रभार और शुल्क, जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं, कार्ड सदस्यों द्वारा फेडरल बैंक द्वारा कार्ड सदस्य को प्रदान किए गए विशिष्ट शुल्कों के लिए या कार्ड सदस्य द्वारा अपने कार्ड खाते के संदर्भ में की गई चूक के लिए देय होते हैं।

ii. फेडरल बैंक ग्राहक को उचित सूचना देकर समय-समय पर किसी भी प्रभार या शुल्क में बदलाव करने या कोई नया प्रभार या शुल्क लागू करने का अधिकार रखता है, जैसा वह उचित समझे। क्रेडिट कार्ड पर ऋण पर ब्याज दरों, प्री-क्लोजर और निरस्तीकरण शुल्क के लिए कृपया देखें: https://www.federalbank.co.in/

iii. डिफ़ॉल्ट के मामले में, ब्याज शुल्क अधिकतम 3.49% प्रति माह (41.88% प्रति वर्ष) तक बढ़ सकता है।

D. <u>ब्याज मुक्त अवधि:</u> क्रेडिट कार्ड पर लागू योजना और व्यापारी द्वारा दावा प्रस्तुत करने के अधीन ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि 48 दिनों तक हो सकती है।

15 जनवरी 2021 से 14 फरवरी 2021 की अवधि के विवरण के लिए भुगतान की देय तिथि 2 मार्च 2021 होगी।

यह मानते हुए कि आपने भुगतान की नियत तारीख तक पिछले महीने के विवरण के अनुसार अपनी कुल देय राशि का भुगतान कर दिया है, तो ग्रेस अवधि होगी:

1. 16 जनवरी, 2021 की खरीदारी के लिए, ब्याज मुक्त छूट अवधि 16 जनवरी, 2021 से 2 मार्च, 2021 तक यानी 46 दिन है।

2. 14 फरवरी, 2021 की खरीदारी के लिए, ब्याज मुक्त ग्रेस अवधि 14 फरवरी, 2021 से 2 मार्च, 2021 तक यानी 17 दिन है।

इस प्रकार, ग्रेस अवधि खरीदारी की तारीख के आधार पर भिन्न हो सकती है। यह अवधि केवल तभी ब्याज मुक्त होगी जब पिछले सभी बकाया राशियों का पूरा भुगतान कर दिया जाए और पिछले महीनों से कोई बकाया राशि आगे नहीं लाई गई हो। हालांकि, यदि भुगतान की नियत तारीख तक कुल देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कोई ब्याज मुक्त अवधि नहीं होगी। नकद अग्रिमों के लिए, लेनदेन की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज लिया जाता है।

ई. देर से भुगतान प्रभार (एलपीसी):

यदि भुगतान की नियत तारीख तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो विलंब भुगतान शुल्क लागू होगा।

नीचे दिए गए उदाहरण-1 में कम से कम न्यूनतम देय राशि यानी 500 का भुगतान, भुगतान की नियत तारीख (2 फरवरी मानी गई) तक किया जाना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई विलंब भुगतान शुल्क नहीं लगाया जाएगा। यदि न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो नीचे दी गई तालिका के अनुसार विलंबित भुगतान शुल्क लगाया जाएगा:

नियत तारीख के बाद बकाया शेष	विलंब भुगतान शुल्क (रु.)
100 रुपये से कम	0
रु. 100- रु. 500	100
रु. 501 से रु. 5,000	500
रु. 5,001 से रु. 10,000	600
रु. 10,001 से रु. 25,000	750
रु. 25,001 से रु. 50,000	950
50,000/- रुपये से अधिक	1000

इस प्रकार, नीचे दिए गए उदाहरण-1 में, चूंकि न्यूनतम देय राशि रु. 500/- का भुगतान देय तिथि 2 फरवरी, 2021 तक नहीं किया गया है और चूंकि कुल देय राशि रु. 2000/- थी तो 3 फरवरी, 2021 को 500/- रुपये का विलंबित भुगतान शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क तब भी लागू होगा यदि आप भुगतान की नियत तारीख तक न्यूनतम देय राशि से कम भुगतान करते हैं।

एफ. वित्त/ब्याज शुल्क

i. कार्ड सदस्य द्वारा अपनी शेष राशि का पूरा भुगतान न करने की स्थिति में लेनदेन की तारीख से सभी लेनदेन पर मासिक प्रतिशत दर पर ब्याज शुल्क का भुगतान किया जाता है, और कार्ड सदस्य द्वारा लिए गए सभी नकद अग्रिमों पर, उनकी चुकौती नहीं किए जाने तक ब्याज शुल्क, यदि देय हो, कार्ड सदस्य के खाते से डेबिट किया जाता है, जब तक कि कार्ड पर बकाया राशि का पूरा भुगतान न हो जाय।

ii. जब ग्राहक किसी बकाया राशि को आगे बढ़ाता है या नकद अग्रिम प्राप्त करता है, तो एवरेज डेली बैलेंस मेथड द्वारा गणना किया गया वित्त शुल्क आगे की शेष राशि और नए बिलों पर लागू होगा।

iii. यदि कोई कार्ड धारक फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड की रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाता है और इसलिए मासिक बिलिंग विवरण में दिखाई गई कुल राशि से कम राशि का भुगतान चुनता है, तो पूरी बकाया राशि पर ब्याज शुल्क लगेगा और सभी नए लेनदेन पर भी ब्याज लगेगा। ब्याज शुल्क तब तक लगेगा जब तक कि पिछली बकाया राशि पूरी तरह चुका न दी जाए। रिवॉल्विंग क्रेडिट एक प्रकार का क्रेडिट है जिसमें किस्त क्रेडिट के विपरीत, भुगतान की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है।

iv. निम्नलिखित उदाहरण ब्याज शुल्क की गणना करने की विधि का संकेत करेगा: नीचे दी गई तालिका में, यह माना गया है कि पिछले महीने के विवरण की कुल देय राशि का भुगतान देय तिथि तक कर दिया गया है और कोई बकाया राशि नहीं है। स्टेटमेंट की तारीख हर महीने की 15 तारीख है। इन मान्यताओं को देखते हुए, ब्याज की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

उदाहरण-1

विवरण	**राशि(रु.)**
14 जनवरी, 2021 को खरीदारी	10,000
दिनांक 15 जनवरी, 2021 के विवरण पर कुल देय राशि	10,000
दिनांक 15 जनवरी, 2021 के विवरण पर न्यूनतम देय राशि(5%)	500
भुगतान की नियत तिथि - 2 फरवरी, 2021	
10 फरवरी, 2021 को खरीदारी	4,000
भुगतान 13 फरवरी, 2021 को प्राप्त हुआ	7,500
ब्याज गणना @ 3.49 (15 फरवरी के विवरण में लगाया गया कुल ब्याज)	
ए) 30 दिनों के लिए रुपये 10,000 पर ब्याज (14 जनवरी से 12 फरवरी तक)	349
ख) 3 दिनों के लिए रुपये 2500 पर ब्याज. (13 फरवरी से 15 फरवरी तक)	8.72
ग) 6 दिनों के लिए रुपये 4000 पर ब्याज. (10 फरवरी से 15 फरवरी तक)	27.92
घ) विलंबित भुगतान शुल्क 05 फरवरी 2021 को डेबिट किया गया	600
ई) ब्याज शुल्क और विलंब भुगतान शुल्क पर जीएसटी लागू होगा	177.4
एफ) 15 फरवरी को देय कुल शुल्क (ए+बी+सी+डी+ई)	1163.0

देय तिथि 3 मार्च 2021 को देय कुल राशि (मूलधन रु. 6500 + कुल देय शुल्क (एफ))	7663.05

2. मर्यादाएं

क्रेडिट सीमा और नकद निकासी सीमा के बारे में कार्ड की डिलीवरी के समय सूचित किया जाता है और मासिक विवरण में भी यह दर्शाया जाता है। उपलब्ध क्रेडिट सीमा की गणना कुल क्रेडिट सीमा से उपयोग की गई सीमा को घटाकर की जाती है। यदि कार्ड सदस्य ने कार्ड पर क्रेडिट सीमा के भीतर कोई लोन लिया है, तो उपलब्ध क्रेडिट सीमा तक पहुंचने के लिए बकाया लोन राशि भी कुल क्रेडिट सीमा से काट ली जाएगी।

कार्ड सदस्य बैंक द्वारा तय किए गए कार्यकाल पर, फेडरल बैंक द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट सीमा और/या नकद सीमा में कटौती की समीक्षा के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। ऐसी समीक्षा पर क्रेडिट सीमा और/या नकद सीमा में परिवर्तन, यदि कोई हो, फ़ेडरल बैंक के विवेक पर निर्भर होगा। फ़ेडरल बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी भी समय कार्ड पर निर्दिष्ट क्रेडिट सीमा और/या नकद सीमा की समीक्षा (वृद्धि या कटौती सहित) करने का हकदार होगा और केवल क्रेडिट सीमा और/या नकद सीमा में वृद्धि, यदि कोई हो, को कार्ड सदस्य की सहमति के साथ फेडरल बैंक द्वारा प्रभावी किया जाएगा।

A. क्रेडिट लिमिट: यह कार्डधारक को दी गई सीमा है। सभी लेनदेन, शुल्क और प्रभार सहित कुल बकाया राशि इस सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

B. नकद सीमा: यह कार्डधारक को दी गई नकद की अग्रिम सीमा है। यह सीमा क्रेडिट सीमा से कम है, और समग्र क्रेडिट सीमा का एक उपसमूह है।

एटीएम से नकदी निकालने पर लेनदेन शुल्क लगाया जाता है। इसके अलावा, रिटेल खरीद के विपरीत, नकद लेनदेन हमेशा लेनदेन की तारीख से ब्याज अर्जित करता है, जहां ब्याज संचय भुगतान देय तिथि तक 100% शेष भुगतान के भुगतान पर निर्भर करता है।

C. उपलब्ध क्रेडिट लिमिट्स: किसी भी समय उपलब्ध क्रेडिट सीमा निर्दिष्ट क्रेडिट सीमा और उस समय कार्ड पर बकाया राशि के बीच का अंतर है। ऐड-ऑन कार्डधारक प्राथमिक कार्डधारक को सौंपी गई इस क्रेडिट सीमा को साझा करेंगे।

D. नकद उपलब्ध लिमिट्स : किसी भी समय उपलब्ध नकदी सीमा, निर्दिष्ट नकदी सीमा और उस समय कार्ड पर बकाया नकदी शेष के बीच का अंतर है

3. बिलिंग विवरण:

फ़ेडरल बैंक कार्ड सदस्य को एक मासिक विवरण भेजेगा जिसमें अंतिम विवरण के बाद से कार्ड सदस्य के खाते में जमा किए गए भुगतान और डेबिट किए गए लेनदेन दर्शाए जाएंगे। बैंक हर महीने एक पूर्व-निर्धारित तारीख पर कार्ड खाते में लेनदेन का विवरण बैंक के रिकॉर्ड पर मौजूद डाक पते पर भेजेगा। यदि बकाया राशि रु.200 से कम है और अंतिम विवरण के बाद से कोई और लेनदेन बिलिंग के लिए लंबित नहीं है तो कोई विवरण जारी नहीं किया जाएगा।

A. कार्ड पर लागू बिलिंग चक्र वही होगा जो बैंक द्वारा आपके कार्ड को सौंपा गया है। आपको समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमति के अनुसार विभिन्न चैनलों के माध्यम से महीने की पहली और 28 तारीख के बीच कोई भी तारीख चुनकर बिलिंग चक्र बदलने का विकल्प दिया जाएगा, बशर्ते कि कार्ड खाते में कोई बकाया न हो। आप कार्ड के पूरे जीवनचक्र के दौरान बिलिंग चक्र के शुरुआती या समापन दिन को अधिकतम 5 (पांच) बार बदलने के हकदार हैं। इस सीमा से अधिक बिलिंग चक्र में बदलाव का कोई भी अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि कार्ड अपग्रेड न हो जाए। कार्ड को अपग्रेड करने पर, आपको बिलिंग चक्र को बदलने के लिए अतिरिक्त 5 (पांच) मौके मिलेंगे, भले ही पिछले कार्ड के संबंध में बिलिंग चक्र में कोई भी बदलाव किया गया हो।
B. **विवरण भेजने की आवधिकता और तरीका:** सभी कार्ड सदस्यों को कार्ड के उपयोग पर लगने वाले सभी शुल्कों और कार्ड खाते पर लागू सभी शुल्कों के लिए मासिक आधार पर बिल भेजा जाएगा। बिलिंग विवरण ग्राहकों को मासिक आधार पर ईमेल पर साझा किया जाएगा।

C. **न्यूनतम देय राशि :** न्यूनतम देय राशि (एमएडी) की गणना कुल देय राशि के 5% (न्यूनतम 200/- रुपये के अधीन), महीने के लिए नई ईएमआई डेबिट या पहले से भुगतान न किए गए ईएमआई डेबिट + जीएसटी + शुल्क के रूप में की जाती है। यदि कार्ड सदस्य कुल बकाया भुगतान या एमएडी (किसी भी परिस्थिति में एमएडी से कम नहीं) का हिस्सा जमा करता है, तो देय शेष बकाया राशि को बाद के विवरणों में आगे बढ़ाया जाएगा। पूर्ण और अंतिम भुगतान की तारीख तक इस राशि पर ब्याज शुल्क लगेगा। कृपया ध्यान दें कि हर महीने केवल न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने पर पुनर्भुगतान लंबी अवधि तक खिंच जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कार्ड सदस्य की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान होगा। ब्याज शुल्क अंतिम तिमाही के लिए ग्राहक द्वारा बचत खाते में बनाए गए शेष पर निर्भर करेगा।

पिछली तिमाही के लिए एएमबी	इस तिमाही के लिए एपीआर (%)
50,000 रुपये से कम	41.88% (प्रति माह 3.49%)
रु. 50,000 - 3,00,000	30.00% (प्रति माह 2.49%)
रु. 3,00,001- 10,00,000	18.00% (प्रति माह 1.49%)
10,00,000 रुपये से अधिक	5.88% (प्रति माह 0.49%)

एएमबी- फेडरल बैंक में रखे गए ऑपरेटिव खाते में औसत मासिक शेष यानी किसी दिए गए महीने में सभी समापन दिवस शेष का औसत। एएमबी की गणना करने के लिए, आपको प्रत्येक दिन के अंतिम शेष को जोड़ना होगा और इसे उस महीने के दिनों की संख्या से विभाजित करना होगा। किसी तिमाही के लिए एएमबी उस तिमाही के 3 महीनों में बनाए गए एएमबी का औसत होगा।

तिमाही को जनवरी, फरवरी और मार्च को तिमाही 1 के रूप में परिभाषित किया गया है; तिमाही 2 के रूप में अप्रैल, मई और जून; जुलाई, अगस्त और सितंबर को तिमाही 3 और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को तिमाही 4 माना जाएगा। तिमाही 2 के लिए एपीआर पर तिमाही 1 के औसत मासिक शेष के आधार पर विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए- 1 जनवरी-31 मार्च के लिए एएमबी 1 अप्रैल-30 जून की तिमाही के लिए लागू होगा।

ईएमआई में रूपांतरित लेनदेन /रद्द किए गए लेन-देन/रिवर्सल/प्रोमोशनल कैशबैक के कारण कार्ड की बकाया राशि के प्रति भुगतान के रूप में किसी मर्चंट रिफंड/कैशबैक/क्रेडिट कार्ड पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि कार्ड सदस्य कार्ड के बकाया की तुलना में अधिक भुगतान करता है, तो कार्ड खाते में क्रेडिट शेष रहेगा। इसे कार्ड पर बाद के लेनदेन के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। हालाँकि इस अतिरिक्त क्रेडिट राशि पर किसी ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता है।

c. बिलिंग विवादों का समाधान : यदि कार्ड सदस्य विवरण में दर्शाए गए शुल्कों से असहमत है, तो इसे स्टेटमेंट प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर 1800 420 1199/1800 425 1199 पर ग्राहक सेवा पर कॉल करके या Creditcards@federalbank.co.in पर ईमेल करके बैंक को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि कथन में दर्शाए गए सभी प्रभार आपके द्वारा स्वीकार किए गए हैं।

बैंक का पूरा डाक पता

फेडरल बैंक लिमिटेड, दूसरी मंजिल, पैराकल टावर्स, फेडरल बैंक, ऑपरेशन्स डिपार्टमेंट, पारूर जंक्शन, अलुवा, एर्नाकुलम, केरल, भारत, 683 102

4. **भुगतान के तरीके**

A. <u>एनईएफटी/आईएमपीएस:</u> यदि कार्ड सदस्य का किसी भी बैंक में बचत खाता है तो वह मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकता है।

i. फेडरल बैंक की वेबसाइट। बस www.federalbank.co.in पर लॉग ऑन करें

ii. क्रेडिट नंबर का लाभार्थी विवरण जोड़ना और राशि सीधे अंतरित करना

नाम: कार्ड पर नाम

बैंक का नाम: फेडरल बैंक

खाता संख्या : कार्ड नंबर

आईएफएससी: FDRL00CARDS

शाखा स्थानः अलुवा

B. <u>ऑटो डेबिट:</u> यदि कार्ड सदस्य के पास फेडरल बैंक में बचत खाता है, तो वह भुगतान की नियत तारीख पर हर महीने ऐसे खाते से भुगतान डेबिट करने का लिखित निर्देश देकर सीधे बचत खाते के माध्यम से भुगतान कर सकता है।

ऐसे मामले में जहां कार्ड सदस्य अपने एनआरओ खाते से धन भेज रहा है, वह गारंटी देता है कि ऐसा प्रेषण भारत में उसके वैध प्राप्य राशि से उत्पन्न होने वाले ऐसे एनआरओ खाते में मौजूद शेष राशि से किया जाता है, न कि किसी अन्य तरीके से, किसी अन्य व्यक्ति से उधार या किसी अन्य एनआरओ खाते से। ऐसी वारंटी के उल्लंघन पर, कार्ड सदस्य फेमा के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। कार्ड सदस्य यह भी पुष्टि करता है और आश्वासन देता है कि एनआरओ खाते में उसके शेष राशि में से भारत के बाहर भेजी गई राशि, एनआरओ खाते से एनआरई खाते में स्थानांतरित की गई राशि, क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान और किसी अन्य अनुरोध के माध्यम से हस्तांतरित की जाने वाली राशि यूएसडी1,000,000- (यू एस डॉलर एक मिलियन) से कम है या किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी बैंक में इसके बराबर है।

एनआरओ खाते में डेबिट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड बिल निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि के लिए, कार्ड सदस्य पुष्टि करता है कि सीबीडीटी नियमों के अनुसार भारत में कर के लिए अर्जित आय पर लागू करों का भुगतान किया गया है और कार्ड सदस्य और एनआरओ खाता धारक एक ही हैं।

ऑटो रिकवरी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में बकाया राशि की वसूली कार्ड सदस्य के बैंक में रखे गए किसी भी सक्रिय खाते से भी की जा सकती है।

C. <u>चेक/ड्राफ्ट:</u> "फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड नंबर XXXXXXXXXXXXXXXX" के पक्ष में एक चेक या ड्राफ्ट बनाएं और इसे कलेक्शन बॉक्स में डाल दें या इसे फेडरल बैंक शाखाओं में काउंटर पर दे दें। आउटस्टेशन चेक / ड्राफ्ट यानी विशिष्ट शहरों के अलावा अन्य शहरों में देय चेक / ड्राफ्ट (बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए ऐसे विशिष्ट शहरों की सूची, अनुरोध पर उपलब्ध है) पर प्रोसेसिंग शुल्क लग सकता है।

फेडरल बैंक चेक के क्लीयरेंस के लिए टीएटी - 1 कार्य दिवस

किसी अन्य बैंक चेक के क्लीयरेंस के लिए टीएटी - वसूली के आधार पर 3 - 5 कार्य दिवस

D. नकद: कार्डधारक कार्ड भुगतान के लिए फेडरल बैंक की किसी भी शाखा में नकद जमा कर सकता है। शाखाओं में इस तरह के भुगतान पर रुपये 100 प्रति भुगतान लेनदेन का शुल्क लगेगा। ।

E. फेडमोबाइल के माध्यम से भुगतान करें: ग्राहक फेडमोबाइल ऐप (फेडमोबाइल-> क्रेडिट कार्ड->पे क्रेडिट कार्ड बिल) का उपयोग करके अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कर सकते हैं।

फंड निपटान के लिए टीएटी: तत्काल

F. फेडनेट के माध्यम से भुगतान करें: ग्राहक फेडनेट (फेडनेट->क्रेडिट कार्ड-> डैशबोर्ड-> भुगतान करें) का उपयोग करके अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान कर सकते हैं।

फंड निपटान के लिए टीएटी: तत्काल

G. पेमेंट गेटवे से भुगतान करें: ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान अन्य बैंक खातों से क्रेडिट कार्ड के तहत बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पोर्टल का उपयोग करके कर सकते हैं-> क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान करें-> पीजी के माध्यम से भुगतान करें (पीजी पोर्टल के लिए यहां क्लिक करें)

फंड निपटान के लिए टीएटी: 3 कार्य दिवसों तक

*क्रेडिट कार्ड का बकाया भुगतान ऑटो डेबिट, फेडमोबाइल के अलावा स्व-भुगतान के किसी भी माध्यम से किए जाने पर भुगतान देय तिथि से कम से कम तीन दिन पहले किया जाना चाहिए। ऑटो-डेबिट के लिए, भुगतान देय तिथि से 1 दिन पहले डेबिट खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखी जानी चाहिए।

5. **रिवार्ड्स पॉइंट्स**

रिवॉर्ड पॉइंट्स को एंटरप्राइज़ स्तर पर प्रबंधित किया जाएगा, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और फेडरल बैंक के मोबाइल बैंकिंग चैनलों से रिटेल खर्च के माध्यम से संचित सभी रिवॉर्ड पॉइंट शामिल होंगे। रिवॉर्ड पॉइंट रूपरेखा नीचे दी गई है:

कार्ड का नाम	प्रति रुपये खर्च पर पॉइंट
सिग्नेट	हर रु. 200/- खर्च पर 1 पॉइंट
इम्पीरियो	हर रु. 150/- खर्च पर 1 पॉइंट
सेलेस्टा	हर रु. 100/- खर्च पर 1 पॉइंट

a) नकद, ईंधन खर्च, ई-वॉलेट लोडिंग लेनदेन पर रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित नहीं होंगे।

b) यदि क्रेडिट कार्ड पर कुछ बकाया है, निलंबित है या डिफ़ॉल्ट है या यदि कार्ड खाता धोखाधड़ी से संचालित होने का संदेह है या उचित रूप से संदेह है, तो बैंक के पास क्रेडिट कार्ड पर अर्जित रिवॉर्ड पॉइंट को रद्द करने या निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है। कार्ड सदस्य की मृत्यु के समय अर्जित लेकिन भुनाए नहीं गए रिवार्ड प्वाइंट जब्त कर लिए जाएंगे।

c) 1 अप्रैल 2023 से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए किराए के भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। अतीत में अर्जित रिवॉर्ड पॉइंट समाप्त होने या भुनाए जाने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेंगे।

6. डिफ़ॉल्ट

A. यदि कार्ड सदस्य बिलिंग विवरण में बताई गई तारीख तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो इसे डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। डिफ़ॉल्ट के मामले में, बैंक डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या कानून द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य एजेंसियों को भेज सकता है। हालाँकि, किसी भी डिफ़ॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले, बैंक कार्ड सदस्य को डिफ़ॉल्ट की रिपोर्ट करने के बैंक के इरादे के बारे में सात दिन पहले सूचित करेगा। यदि कार्ड सदस्य डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट किए जाने के बाद बकाया का निपटान करता है, तो बैंक निपटान की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्थिति को अपडेट कर देगा। डिफॉल्ट से संबंधित जानकारी का खुलासा/जारी विवाद सुलझने के बाद ही किया जाएगा।

B. डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट वापस लेने की प्रक्रिया और वह अवधि जिसके भीतर बकाया राशि के निपटान के बाद डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट वापस ले ली जाएगी।

बैंक हर महीने कार्ड सदस्य का डेटा क्रेडिट ब्यूरो (भारत में) को जमा करता है। इस डेटा में पिछले महीने के सभी कार्डधारकों, डिफॉल्टर और वर्तमान दोनों की पुनर्भुगतान स्थिति शामिल है। ब्यूरो अगले तीस दिनों में सबमिट किए गए डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड कर देगा।

C. कार्ड सदस्य बैंक द्वारा कार्ड सदस्य को दिए गए किसी अन्य ऋण/वित्तीय/क्रेडिट सुविधा के संबंध में डिफ़ॉल्ट की स्थिति में क्रेडिट कार्ड सुविधा समाप्त करने और इसके उलट करने के बैंक के अधिकार को स्वीकार करता है।

D. कार्ड सदस्य की मृत्यु/क्षमता में स्थायी होने की स्थिति में बकाया राशि की वसूली: यह उत्तराधिकारियों/नामांकित व्यक्तियों/कानूनी उत्तराधिकारियों/कार्ड सदस्य के संरक्षक को बकाया राशि के भुगतान के लिए पर्याप्त नोटिस और बकाया राशि के संबंध में सभी जानकारी देने के बाद लागू कानूनों के अनुसार होगी।

E. घटिया/संदिग्ध/हानि वाले एनपीए में वर्गीकरण बैंक के साथ समग्र एक्सपोजर में संयुक्त सुरक्षा विभाजन और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट एजिंग रूल्स के आधार पर किया जाएगा।

डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, कार्ड खाते पर किसी भी बकाया के निपटान के लिए कार्ड सदस्य को समय-समय पर पोस्ट, टेलीफोन, ई-मेल, एसएमएस संदेश और/या तीसरे पक्ष को याद दिलाने, अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए रिमाइंडर भेजा जाएगा और बकाया वसूल किया जाएगा। इस प्रकार नियुक्त कोई भी तीसरा पक्ष ऋण वसूली पर आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करेगा।

7. **ग्रहणाधिकार का अधिकार**

A. यदि बैंक द्वारा मांगे जाने पर, कार्ड खाते की शेष राशि निर्धारित समय के भीतर चुकाई नहीं जाती है **तो** बैंक को, किसी भी समय और बिना किसी सूचना के, ग्रहणाधिकार का अधिकार होगा और कार्ड सदस्य के सभी पैसे को बंद करने और/या बैंक के किसी भी खाते/कस्टडी में कार्ड सदस्य को उनके खाते में जोड़ने का अधिकार होगा, ।

B. रिडेम्पशन के निपटारे के दौरान, यदि उपलब्ध रिवार्ड पॉइंट्स का शेष लेन-देन के लिए आवश्यक पॉइंट्स से कम है, तो बैंक ग्राहक के कार्ड/खाते से अंतर की राशि को डेबिट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

C. सुरक्षित क्रेडिट कार्ड के लिए, ग्राहक की सावधि जमा राशि को ग्राहक को जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के प्रति चिन्हित किया जाएगा। ग्राहक द्वारा सभी बकाया चुकाने और बैंक के पास उपलब्ध क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने के बाद ग्रहणाधिकार हटा लिया जाएगा।

8. **कार्ड सदस्यता की समाप्ति/निरस्तीकरण**

कार्ड सदस्य किसी भी समय पूर्व सूचना देकर या उसके बिना कार्ड खाता समाप्त करने का विकल्प चुन सकता है। दुरुपयोग से बचने के लिए, क्रेडिट कार्ड को चार टुकड़ों में काटने की सलाह दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि होलोग्राम और चुंबकीय पट्टी स्थायी रूप से नष्ट हो जाए। कार्ड सदस्य किसी भी समय दूसरी मंजिल, पैराकल टावर्स, फेडरल बैंक, ऑपरेशन्स डिपार्टमेंट, पारूर जंक्शन, अलुवा, एर्नाकुलम, केरल, भारत, 683108 को पत्र लिखकर पूरा कार्ड नंबर बताकर कार्ड सदस्यता समाप्त कर सकता है। कार्ड सदस्य फेडमोबाइल, फेडनेट या बैंक के संपर्क केंद्र के माध्यम से क्रेडिट कार्ड रद्द करने का अनुरोध भी कर सकता है। समाप्ति तभी प्रभावी होगी जब फेडरल बैंक को उक्त कार्ड खाते के संबंध में देय और बकाया सभी राशियों का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। किसी बिलिंग चक्र के लिए ब्याज/वित्त शुल्क, यदि कोई लागू हो, अगले बिलिंग चक्र पर लगाया/भुगतान किया जाएगा और कार्ड सदस्यता की समाप्ति/निरस्तीकरण के बावजूद कार्ड सदस्य इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम बंद होने की स्थिति में या क्रेडिट कार्ड के नवीनीकरण के समय, फेडरल बैंक लिमिटेड अपने विवेक से एक कार्ड प्रकार प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो कार्ड सदस्य द्वारा रखे गए मौजूदा कार्ड प्रकार से भिन्न हो। किसी भी समय किसी भी क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट सीमा और नकद सीमा फेडरल बैंक लिमिटेड के विवेक के अनुसार होती है। कार्ड आवेदन समापन/नवीनीकरण के समय प्रदान किए गए किसी भी रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए मान्य रहेगा।

यदि किसी क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक समय से नहीं किया गया है, तो कार्डधारक को सूचित करने के बाद कार्ड को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि उपयोग न करने की एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्डधारक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो कार्डधारक द्वारा सभी बकाया राशि के भुगतान के अधीन, कार्ड खाता फेडरल बैंक द्वारा बंद कर दिया जाएगा। कार्ड खाते को बंद करने के संबंध में जानकारी भी तदनुसार 30 दिनों की अवधि के भीतर क्रेडिट सूचना कंपनी/कंपनियों के साथ अद्यतन की जाएगी।
क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने के लिए, ग्राहक हमारे 24 घंटे चलने वाले ग्राहक कार्ड को 1800 420 1199/1800 425 1199 पर कॉल कर सकते हैं या Creditcards@federalbank.co.in पर ईमेल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की गलत बिक्री या क्रेडिट कार्ड से संबंधित रिकवरी एजेंटों द्वारा उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के लिए कृपया ccsalessupport@federalbank.co.in पर लिखें या 0484–6754111 पर कॉल करें।

9. **कार्ड की हानि/चोरी/दुरुपयोग**

कार्ड के खोने/चोरी/दुरुपयोग के मामले में, केवल अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से Creditcards@federalbank.co.in पर या मोबाइल बैंकिंग/इंटर बैंकिंग के माध्यम से इसकी सूचना फ़ेडरल बैंक की होम ब्रांच को या तो लिंक पर जाकर: https://www.federalbank.co.in/block-unauthorized-transactions, या कस्टमर केयर को 1800 420 1199/1800 425 1199 पर कॉल करके तुरंत दी जानी चाहिए। इसके बाद बैंक कार्ड को निलंबित कर देगा। कार्ड सदस्य को स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी जाती है ताकि कार्ड सदस्य बैंक द्वारा मांगे जाने पर इसकी प्रति प्रस्तुत कर सके। कार्ड सदस्य चोरी सहित कार्ड की सुरक्षा और कार्ड का उपयोग करके लेनदेन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा। कार्ड सदस्य कार्ड की हानि/चोरी/क्षति की रिपोर्ट करने के बाद उस पर किए गए किसी भी लेनदेन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हालाँकि, हानि/चोरी/क्षति और/या कार्ड पर किए गए लेनदेन की रिपोर्टिंग के समय, हानि/चोरी/क्षति/दुरुपयोग की रिपोर्टिंग के बाद किसी भी विवाद के मामले में, बैंक ऐसे समय और या विवादित लेनदेन की प्रामाणिकता का पता लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

कार्ड सदस्य के हितों की रक्षा करने और कार्ड खाते पर किसी भी तरह से दुरुपयोग से बचने के लिए फेडरल बैंक के पास छेड़छाड के संदिग्ध जोखिम पर क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने का अधिकार सुरक्षित है। कार्ड सदस्य किसी भी लेनदेन के लिए अवरुद्ध कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएगा और उसे 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर रिप्लेसमेंट कार्ड प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में, कार्ड सदस्य, बैंक द्वारा संभावित धोखाधड़ी जोखिम के बारे में सूचित किए जाने के बाद भी, कार्ड को अनब्लॉक करने का अनुरोध करता है, तो फ़ेडरल बैंक उसके बाद धोखाधड़ी भरे उपयोग के कारण उसके बाद हुए किसी भी धोखाधड़ी वाले या अन्यथा किसी प्रकार के लेनदेन के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

कार्डधारक की देयता:

आरबीआई परिपत्र संदर्भ DBR.No.Leg.BC.78/09.07.005/2017-18 दिनांक 6 जुलाई, 2017; के अनुसार कार्डधारक की समग्र देनदारी ग्राहक सुरक्षा पर संक्षेप में नीचे दिया गया है:

ग्राहक की देनदारी का सारांश	
सूचना प्राप्त होने की तिथि से धोखाधड़ी वाले लेनदेन की रिपोर्ट करने में लगने वाला समय	ग्राहक की देयता(₹)
3 कार्य दिवसों के भीतर	शून्य देयता
4 से 7 कार्य दिवसों के भीतर	लेन-देन का मूल्य या तालिका 1 में उल्लिखित राशि, जो भी कम हो
7 कार्य दिवसों से अधिक	बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार

10. शिकायत कक्ष

"यदि आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप i) www.federalbank.co.in पर शिकायत फॉर्म पर जाकर या ii) हमारे ग्राहक सेवा नंबर 18004201199 पर कॉल करके या iii) ईमेल के माध्यम से contact@federalbank.co.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमारे साथ अपने सभी पत्राचारों में, कृपया अपना पूरा क्रेडिट कार्ड नंबर बताएं।"

डी. शिकायत निवारण अग्रेषण:

प्रथम स्तर (शिकायत निवारण अधिकारी)

यदि आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हमारे टोल-फ्री नंबर 1800-420-1199/1800-425-1199/0484-2630994 (विदेश कॉल के लिए) डायल करके या creditcards@federalbank.co.in पर ईमेल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

द्वितीय स्तर (प्रधान नोडल अधिकारी)

यदि आप दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो कृपया अपनी शिकायत support@federalbank.co.in पर शिकायत विवरण के साथ भेजें।

अधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके विफल लेनदेन के लिए टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) का सामंजस्य और ग्राहक मुआवजा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2020 के महीने में सभी अधिकृत भुगतान प्रणालियों में ग्राहकों की शिकायतों और मुआवजे की रूपरेखा के समाधान के लिए टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) पर दिशानिर्देश पेश किए थे। बैंक और अन्य ऑपरेटर

/ सिस्टम प्रतिभागी ऐसे विफल लेनदेन के त्वरित समाधान की दिशा में प्रयास करेंगे और जहां भी वित्तीय मुआवजा शामिल है, उसे ग्राहक की शिकायत या दावे की प्रतीक्षा किए बिना, स्वतः ही ग्राहक के खाते में डाल दिया जाएगा। बैंक ने उपरोक्त दिशानिर्देशों को अपनाया है। विफल लेनदेन की स्थिति में, जहां भी वित्तीय मुआवजा शामिल है, उसे ग्राहक के खाते में स्वतः ही स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

अधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके विफल लेनदेन के लिए ग्राहक मुआवजे का विवरण नीचे दिया गया है

अधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके विफल लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) और ग्राहक मुआवजे का सामंजस्य

अनु. क्र.	**घटना का विवरण**	**ऑटो-रिवर्सल और मुआवज़े के लिए रूपरेखा**	
		ऑटो-रिवर्सल के लिए समय सीमा	**देय मुआवजा**
I	**II**	**III**	**IV**
1	**माइक्रो-एटीएम सहित ऑटोमेटेड टेलर मशीनें (एटीएम)**		
a	ग्राहक के खाते से डेबिट हो गया लेकिन नकदी नहीं निकली।	अधिकतम टी + 5 दिनों के भीतर विफल लेनदेन का प्रो-एक्टिव रिवर्सल (आर)।	टी + 5 दिन से अधिक की देरी पर ₹ 100/- प्रति दिन, खाताधारक के खाते में जमा किए जाएंगे।
2	**कार्ड से लेनदेन**		
a	कार्ड से कार्ड ट्रांसफर कार्ड खाते से डेबिट किया गया लेकिन लाभार्थी कार्ड खाते में जमा नहीं किया गया।	यदि लाभार्थी के खाते में क्रेडिट प्रभावी नहीं होता है, तो लेनदेन को टी + 1 दिन के भीतर उलट दिया जाना चाहिए।	टी + 1 दिन से अधिक की देरी पर ₹ 100/- प्रति दिन।
b	पीओएस पर नकद सहित पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) (कार्ड प्रेजेंट)। खाते से डेबिट हो गया लेकिन व्यापारी के स्थान पर पुष्टि नहीं हुई यानी चार्ज-स्लिप जेनरेट नहीं हुई।	T+5 दिनों के भीतर ऑटो-रिवर्सल	टी + 5 दिन से अधिक की देरी पर ₹ 100/- प्रति दिन।
c	कार्ड मौजूद नहीं है (सीएनपी) (ई-कॉमर्स) खाते से डेबिट हो गया लेकिन व्यापारी के सिस्टम पर पुष्टि प्राप्त नहीं हुई।		

12. शिकायत निवारण के लिए टोल फ्री नंबर

यदि आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हमारे टोल-फ्री नंबर 1800-420-1199/1800-425-1199/0484-2630994 (विदेश कॉल के लिए) डायल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

13. FEMA (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट)

A. भारत के बाहर लेनदेन के लिए कार्ड का उपयोग लागू कानून के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें आरबीआई के विनिमय नियंत्रण विनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 शामिल हैं, और ऐसा करने में किसी भी विफलता की स्थिति में, आप दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।.

B. क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है। नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार यह निषिद्ध है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.federalbank.co.in पर जाएं।

C. यह कार्ड भारत के साथ-साथ विदेश में भी उपयोग के लिए वैध है। हालाँकि, यह नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए मान्य नहीं है।

D. केवल एनआरआई ग्राहकों के लिए 100% पुनर्भुगतान अनिवार्य रूप से फेडरल बैंक एनआरई/एनआरओ खाते से ऑटोपे मोड के माध्यम से किया जाना चाहिए।

E. एनआरआई ग्राहकों के लिए नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. कार्ड खाते में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन

A. यदि ग्राहक को उपलब्ध कराए गए किसी भी विवरण/रिकॉर्ड पर लेनदेन/शेष राशि के विवरण में कोई विसंगतियां मौजूद हैं, तो ग्राहक सात (7) दिनों के भीतर बैंक को लिखित रूप में सूचित करेगा।

B. यदि बैंक को सात (7) कार्य दिवसों के बाद इसके विपरीत कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो ग्राहकों की देनदारी बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी जो बैंकों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

C. यहां दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप में बैंक द्वारा बनाए गए आपके निर्देशों के सभी रिकॉर्ड और ऐसे अन्य विवरण (किए गए भुगतान या प्राप्त किए गए भुगतान सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) को आपके खिलाफ ऐसे निर्देश और ऐसे अन्य विवरण का निर्णायक सबूत माना जाएगा। ।

D. रिपोर्टिंग के समय और/या खाते पर किए गए लेनदेन या उक्त खाते के संबंध में किसी अन्य मामले से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, बैंक समय और/या विवादित की प्रामाणिकता का पता लगाने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। तीसरे पक्ष की धोखाधड़ी के कारण आपके कार्ड खाते में अनधिकृत लेनदेन के मामले में लेनदेन और आपकी देनदारी या जहां आपने धोखाधड़ी के लिए योगदान नहीं दिया है, को "ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक में ग्राहकों की सीमित देयता" पर आरबीआई परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित किया जाएगा। समय-समय पर नियमों में किया गया कोई भी बदलाव उस समय लागू और बाध्यकारी होगा।

15. **प्रकटीकरण**

बैंक कार्ड सदस्य, पुनर्भुगतान इतिहास आदि के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या कानून द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य एजेंसियों को देगा। फ़ेडरल बैंक/ग्रुप कंपनियाँ आवेदन प्रपत्रों और तस्वीरों सहित उसके साथ प्रदान किए गए दस्तावेज़ों को अपने पास रखने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं और उन्हें वापस नहीं करेंगी।

बैंक कार्ड सदस्य/ऐड-ऑन कार्ड सदस्य(सदस्यों) से संबंधित जानकारी साझा करेगा, जिसमें कार्डधारक द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में किए गए किसी भी डिफ़ॉल्ट से संबंधित जानकारी भी शामिल है, जैसा कि बैंक उचित और आवश्यक समझे, किसी भी क्रेडिट जानकारी के साथ कंपनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (रेगुलेशन) ऐक्ट, 2005 द्वारा विनियमित है। हालांकि, किसी भी डिफ़ॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले, बैंक कार्ड सदस्य को डिफ़ॉल्ट की रिपोर्ट करने के बैंक के इरादे के बारे में सात दिन पहले सूचित करेगा। यदि कार्ड सदस्य डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट किए जाने के बाद बकाया राशि का निपटारा करता है, तो बैंक निपटारे की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्थिति को अपडेट कर देगा। डिफॉल्ट से संबंधित जानकारी का खुलासा/जारी विवाद सुलझने के बाद ही किया जाएगा।

बैंक निम्नलिखित कार्डधारक की जानकारी को कार्डधारक की मंजूरी के साथ या उसके बिना निम्नलिखित चरणों में प्रकट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अनु. क्र.	चरण	प्रकट की जानेवाली जानकारी
1.	मार्केटिंग के दौरान	शुल्क और प्रभार
2.	आवेदन पर	मुख्य तथ्य विवरण जिसमें शुल्क और प्रभार, निकासी सीमा और ग्राहक की इच्छानुसार किसी भी अतिरिक्त जानकारी से संबंधित जानकारी शामिल है।
3.	वेलकम किट	फीस और शुल्क, निकासी सीमा, बिलिंग, डिफ़ॉल्ट और परिस्थितियाँ, कार्ड सदस्यता की समाप्ति/निरस्तीकरण, कार्ड की हानि/चोरी/दुरुपयोग, शिकायत निवारण और मुआवजा ढांचा, प्रकटीकरण
4.	बिलिंग पर	फीस और शुल्क, निकासी सीमा, बिलिंग
5.	चालू आधार पर,	नियम और शर्तों में कोई बदलाव

16. क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

क्षेत्रीय भाषाओं में एमआईटीसी के बारे में जानकारी के लिए कृपया www.federalbank.co.in पर जाएं, उपलब्ध विकल्प 1) हिंदी 2) कन्नड़ 3) मलयालम 4) तेलुगु 5) तमिल 6) बंगाली 7) मराठी 8) गुजराती 9) पंजाबी 10) उड़िया 11) असमिया 12) उर्दू।कार्ड-सदस्य इसके द्वारा स्वीकार करता है कि www.federalbank.co.in पर क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें सबसे महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अंग्रेजी संस्करण का प्रातिनिधिक पाठ है।

कार्ड-सदस्य इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि सबसे महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ के बीच किसी भी असंगति की स्थिति में, अंग्रेजी में पाठ मान्य होगा और कार्ड-सदस्य पर बाध्यकारी होगा।

अस्वीकरण:

*फेडरल बैंक अपने विवेक से, अपने उत्पादों के संबंध में बाहरी सेवा प्रदाताओं या एजेंटों की सेवाओं का उपयोग आवश्यक या आवश्यक शर्तों पर कर सकता है।